

**एकीकृत बूचड़खानों सह मांस प्रसंस्करण संयंत्र / मांस प्रसंस्करण संयंत्र / बूचड़खानों के लिए
पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए अनुदान हेतु प्रक्रिया**

- i. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार के नीति के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यात को इस शर्त के अधीन अनुमति दी जाएगी कि जब इन उत्पादों को विशिष्ट रूप से एपीडा पंजीकृत एकीकृत एबेटॉयर/ एबेटॉयर से कच्चा माल प्राप्त करने वाले एपीडा पंजीकृत एकीकृत एबेटॉयर/ एबेटॉयर या एपीडा पंजीकृत मांस प्रसंस्करण संयंत्र से स्रोत/प्राप्त किया गया जाएगा।
- ii. मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यात के लिए पंजीकरण, एपीडा अधिनियम, 1985 के अध्याय 3 के अंतर्गत एपीडा की सांविधिक प्रणाली है।
- iii. इसके अतिरिक्त एपीडा अधिनियम, 1985 की धारा 10(20) घ के अनुसार एपीडा को किसी भी स्लॉटर हाउस, प्रसंस्करण संयंत्र, स्टोरेज परिसर, वाहनों या अन्य स्थानों जहां ऐसे उत्पादों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रखा या संभाला जाता है पर मांस एवं मांस उत्पादों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।
- iv. इसे ध्यान में रखते हुए, पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। यह अधिसूचना इस संबंध में जारी 6 दिसंबर, 2013 की पूर्व अधिसूचना संख्या एपीडा/एमपीडी/पंजीकरण/2013 का स्थान लेती है।

01	परिभाषा	<p>1) एपीडा: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।</p> <p>2) एकीकृत एबेटॉयर सह मांस प्रसंस्करण संयंत्र- का अर्थ है मांस के लिए परिसर में लाइरेज, स्लॉटर लाइन, कार्कस ड्रेसिंग, चिलिंग, डिबोनिंग फ्रीजिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा।</p> <p>3) मांस प्रसंस्करण संयंत्र- का अर्थ है वह बिल्डिंग, परिसर</p>
----	---------	--

		<p>या स्थान जिसका उपयोग मांस को चिलिंग, डिबोनिंग, फ्रीजिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज के लिए किया जाता है।</p> <p>4) स्लॉटर हाउस- का अर्थ मानव उपभोग के लिए पशुओं को स्लॉटर करने हेतु भवन, परिसर या स्थान है।</p> <p>5) मेनुफेक्चरर निर्यातक:- का अर्थ है एक व्यक्ति/कंपनी जो अपने द्वारा निर्मित माल का निर्यात करता है या एक एपीडा पंजीकृत एकीकृत बूचड़खाने सह मांस प्रसंस्करण संयंत्र या मांस प्रसंस्करण संयंत्र या बूचड़खाने से ऐसे माल का निर्यात करने के लिए इच्छुक है।</p> <p>6) मर्चेट एक्सपोर्टर - का अर्थ है एक व्यक्ति / कंपनी जो व्यापारिक गतिविधियों में लगी हुई है और एक एपीडा पंजीकृत निर्माण इकाई से मांस की सोर्सिंग कर रही है।</p>
02	पंजीकरण/ रिनुअल के लिए आवेदन	<p>2.1 सभी आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे हैं। ऑनलाइन मीट प्लांट पंजीकरण/नवीकरण प्रणाली का उपयोग करने के लिए, आवेदक को एपीडा की वेबसाइट पर जाकर "मेम्बर एक्सेस" भाग के अंतर्गत "इकाई पंजीकरण टैब" पर क्लिक करना होगा।</p> <p>न्यूनतम नियामक अनुपालन के लिए मांस इकाइयों की सुविधा के लिए नियामक अनुपालन को कम करने की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन के आकार को कम कर दिया गया है।</p> <p>2.2 आवेदक को एपीडा वेबसाइट पर मीट प्लांट के लिए यूजर मैनुअल में दिए गए फॉर्म-1, फॉर्म-2 और घोषणाओं में सभी कॉलम भरने होंगे। तभी आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होगा।</p> <p>2.3 आवेदन के साथ निम्न शुल्क संलग्न किया जाए:</p> <p>क) एकीकृत एबेटॉयर सह मांस प्रसंस्करण संयंत्र के लिए - रु. 1,00,000/- + लागू कर,</p> <p>ख) मांस प्रसंस्करण संयंत्र / स्टैंड अलोन एबेटॉयर के लिए - रु. 50,000/- + लागू कर,</p>

		<p>2.4 निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाए और सभी दस्तावेजों को अधिकृत निदेशक या मालिक द्वारा सत्यापित किया जाए।</p> <ol style="list-style-type: none">1. परिसर का लेआउट2. दस्तावेजी साक्ष्य के साथ मालिक/ साझेदारों/ निदेशकों/ ट्रस्टी आदि का नाम और पता।3. उस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/निकासी प्रमाण पत्र जिसमें जल और वायु संयंत्र स्थित है।4. स्थानीय/ नगरपालिका/ सक्षम निकाय से मांस और मांस उत्पादों के लिए एबेटॉयर/प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने और संचालन करने की अनुमति।5. यदि प्रोसेसिंग यूनिट लीज के आधार पर चलाई जा रही है तो लीज एग्रीमेंट की कॉपी संलग्न करें।6. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 / भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) के अंतर्गत पंजीकृत पशु चिकित्सकों की सूची।7. प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविदों की सूची।8. मान्य एचएसीसीपी प्रमाण-पत्र/लागू गुणवत्ता सुरक्षा प्रणाली प्रमाणपत्र की प्रति।9. एफएसएसएआई द्वारा जारी लाइसेंस।10. एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्रसंस्करण में उपयोग किए गए पानी के साथ-साथ ईटीपी उपचारित पानी की परीक्षण रिपोर्ट की प्रति।11. पॉवर ऑफ अटोर्नी / संकल्प की प्रति के साथ आवेदन जमा करने के लिए निदेशकों में से एक के ऑथराइज़ेशन की प्रति।
--	--	---

		<p>12. वर्तमान निर्यातकों की स्थितिमें एपीडा को निर्यात रिटर्न जमा करने का प्रमाण।</p> <p>13. संयंत्र के विभिन्न कार्यों को दर्शाने वाले वीडियो और फोटो एलबम की प्रति।</p> <p>14. संयंत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण नियंत्रण क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने का प्रमाण।</p>
03	संयंत्र पंजीकरण प्रक्रिया	<p>3.1 आवेदन की जांच एपीडा द्वारा की जाएगी और यदि आवेदन सही पाया जाता है तो एपीडा संयंत्र द्वारा पंजीकरण समिति से संयंत्र का भौतिक निरीक्षण करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। हालांकि, यदि कोई दस्तावेज अधूरा है, तो आवेदक को उसे जमा करने का एक अन्य मौका दिया जाएगा।</p> <p>3.2 जैसा कि ड्रॉफ्ट अधिसूचना के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, निर्यातक को एकीकृत एबेटॉयर के पंजीकरण के लिए 1 लाख रुपये + कर और मांस प्रसंस्करण संयंत्र / स्टैंड अलोन एबेटॉयर के पंजीकरण के लिए 50,000/- + करों का शुल्क जमा करना आवश्यक है। प्रत्येक आवेदन उपरोक्तानुसार शुल्क के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो आवेदक द्वारा भुगतान किया गया प्रसंस्करण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और वह शुल्क आवेदक को वापस नहीं किया जाएगा।</p> <p>3.3 एक संयंत्र पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकरण के लिए प्रसंस्करण संयंत्र का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित में से कम से कम तीन सदस्य शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एपीडा के प्रतिनिधि, जो समिति के संयोजक होंगे 2. पशुपालन विभाग, डेयरी, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि।

	<p>3. संबंधित राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि।</p> <p>4. भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) के प्रतिनिधि।</p> <p>5. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के प्रतिनिधि।</p> <p>6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, , भारत सरकार के प्रतिनिधि</p> <p>7. गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रणाली और/या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के विशेषज्ञ।</p> <p>8. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के सचिव या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि।</p> <p>9. निम्नलिखित प्रतिष्ठित पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों में से एक:</p> <ul style="list-style-type: none">• भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI), इज्जतनगर, उ.प्र. के प्रतिनिधि।• राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद के निदेशक।• लाइवस्टॉक प्रोडेक्ट्स विभाग टेक. कॉलेज ऑफ़ वेटरनरी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के प्रोफेसर।• बॉम्बे पशु चिकित्सा कॉलेज, मुंबई से पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रोफेसर या विश्वविद्यालय प्रमुख।• तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर / प्रमुख।• पशु चिकित्सा कॉलेज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, हिसार के प्रोफेसर/प्रमुख।• पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, बीकानेर के प्रोफेसर/प्रमुख।
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • पश्चिम बंगाल पशु और मत्स्य सेवा विश्वविद्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर / प्रमुख। • वेटेनरी साइंस, गुवाहाटी, असम के प्रोफेसर / प्रमुख। <p>3.4 एपीडा द्वारा आवेदक को निरीक्षण की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले सूचित किया जाएगा। निरीक्षण तिथि तक संयंत्र पंजीकरण समिति द्वारा एकीकृत मांस प्रसंस्करण इकाई/मांस प्रसंस्करण संयंत्र/स्लॉटर हाउस तैयार हो जाना चाहिए। संयंत्र चालू स्थिति में हो और संचालन में हो।</p>
04	संयंत्र पंजीकरण प्रमाण-पत्र	<p>4.1 संयंत्र पंजीकरण समिति द्वारा देखी गई प्रमुख गैर-अनुरूपताओं के मामले में, इस प्रकार रिपोर्ट किए गए अनुपालन को कम से कम दो सदस्यीय समिति द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया जाएगा, वे सभी गैर-अनुरूपताएं जो सीधे खाद्य सुरक्षा से संबंधित हैं, प्रमुख गैर-अनुरूपता मानी जाती हैं। दूसरों को लघु अनुरूपता के रूप में माना जाता है।</p> <p>4.2 यदि पंजीकरण समिति इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि कच्चा मांस (चिल्ड/फ्रोज़न) (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) निर्यात के अंतर्गत आने वाले मानकों की पुष्टि करता है और संयंत्र पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की सलाह देता है तो एपीडा द्वारा उसे ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इस प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर के साथ एपीडा द्वारा जारी पंजीकरण संख्या होगी।</p> <p>4.3 मांस संयंत्र के निरीक्षण की लागत - एकीकृत एबेटॉयर के पुनःनिरीक्षण के लिए रु. 40,000/- और मांस प्रसंस्करण संयंत्र/स्टैंड अलोन एबेटॉयर के पुनः निरीक्षण के लिए रु. 25000/- के शुल्क का भुगतान करना होगा।</p> <p>4.4 यदि संयंत्र पंजीकरण समिति को यह लगता है कि संयंत्र आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं है, तो संयंत्र का पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। यदि पुनः निरीक्षण के दौरान</p>

	<p>पंजीकरण समिति को यह लगता है कि संयंत्र आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं है तो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा और आवेदक द्वारा भुगतान किए गए प्रसंस्करण शुल्क को वापिस नहीं किया जाएगा।</p> <p>4.5 मांस प्रसंस्करण इकाई में संयंत्र पंजीकरण प्रमाण-पत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।</p> <p>4.6 एपीडा द्वारा प्रसंस्करण इकाइयों के लेआउट, डिजाइन या क्षमता में परिवर्तन का अनुमोदन।</p> <p>4.7 प्रसंस्करण इकाई के लेआउट, डिजाइन या क्षमता में किसी भी बड़े बदलाव को 60 दिनों के भीतर एपीडा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। मांस प्रसंस्करण संयंत्र द्वारा उपरोक्त एपीडा को अनुच्छेद 4.3 में उल्लिखित शुल्क के साथ इकाई में स्थापित अतिरिक्त प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधाओं का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके बाद, एपीडा क्षमताओं का आकलन करेगा और यदि आवश्यक हो, तो प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने से पहले संयंत्र का निरीक्षण भी कर सकता है।</p> <p>4.8 संयंत्र पंजीकरण की मान्यता: निर्यातकों द्वारा स्थापित एकीकृत बूचड़खाने आधुनिक और अत्याधुनिक हैं। प्रसंस्करण सुविधाएं हैं जहां मांस प्रसंस्करण के लिए सभी संचालन किए जाते हैं। इसीलिए एकीकृत एबेटॉयर की मान्यता तीन वर्ष रखी गई है। हालांकि, मांस प्रसंस्करण संयंत्र/ स्टैंडअलोन एबेटॉयर के पास गैर एकीकृत सुविधाएं होती हैं और वे अनुमोदित संयंत्रों से कार्कस प्राप्त करते हैं। अतः मांस प्रसंस्करण संयंत्र/ स्टैंडअलोन एबेटॉयर की मान्यता दो वर्ष रखी गई है।</p> <p>जिन संयंत्रों को वर्चुअल माध्यम से निरीक्षित किया जाता है उन्हें एक वर्ष की मान्यता दी जाती है। जिन मांस संयंत्र को संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षित किया जाता है तदनुसार उन इकाइयों में एकीकृत एबेटॉयर सह मांस प्रसंस्करण इकाई को तीन और मांस प्रसंस्करण इकाई और</p>
--	--

		<p>स्टैंड अलोन इकाईयों को दो वर्ष के लिए मान्यता दी जाती है।</p> <p>4.9 एपीडा द्वारा एपीडा संयंत्र पंजीकरण प्रमाण-पत्र की मान्यता को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति से जोड़ना जारी रखा जाएगा। यदि एपीडा संयंत्र पंजीकरण प्रमाण-पत्र की मान्यता से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति की मान्यता समाप्त हो जाती है, तो इसे एपीडा संयंत्र पंजीकरण समिति द्वारा बिना किसी और निरीक्षण के नवीनीकृत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नवीनीकृत किया जाएगा।</p> <p>4.10 संयंत्र पंजीकरण समिति द्वारा प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के उद्देश्य से मांस प्रसंस्करण संयंत्रों का पुनः निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा।</p> <p>4.11 औचक निरीक्षण - एकीकृत एबेटॉयर और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के नियामक अनुपालन को कम करने के अंतर्गत न्यूनतम 5% अर्थात् 10% से घटाकर 5% का औचक निरीक्षण करने का प्रस्ताव है। यादृच्छिक रूप से चयनित संयंत्रों या जिन संयंत्रों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका औचक निरीक्षण किया जाएगा। औचक निरीक्षण करने के लिए कम से कम दो सदस्यों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा।</p> <p>4.12 यदि मांस एवं मांस उत्पादों का प्रसंस्करण पट्टे पर लिए गए संयंत्र में किया जा रहा है तो मनुफैक्चरर निर्यातक जो संयंत्र का पट्टाधारी हो या नहीं को प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। पट्टा समझौता के विस्तार होने की स्थिति में उसी प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाएगा।</p> <p>4.13 पट्टे पर संयंत्र की स्थिति में, पट्टा समझौता मान्य होने तक संयंत्र पंजीकरण की मान्यता प्रस्तावित है। इस स्थिति में प्रमाण-पत्र की मान्यता पट्टा समझौता की मान्यता या खंड 4.8 के अनुसार, जो भी पहले हो, तक</p>
--	--	--

		<p>सीमित होगी।</p> <p>4.14 एपीडा पंजीकृत प्रसंस्करण संयंत्र केवल एपीडा पंजीकृत एकीकृत एबेटॉयर / एबेटॉयर से ही कार्कैस को प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में, प्रमाण-पत्र की मान्यता ऐसे एकीकृत एबेटॉयर / एबेटॉयर के साथ समझौते की समाप्ति की तारीख तक सीमित होगी।</p> <p>4.15 एपीडा पंजीकृत एकीकृत एबेटॉयर भी एपीडा पंजीकृत बूचड़खानों से शवों को प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते उनके पास आवश्यक प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा हो।</p> <p>4.16 एबेटॉयर/संयंत्र का संचालन सभी लागू सांविधिक आवश्यकताओं/विनियमों को पूरा करेगा जिसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे:</p> <ul style="list-style-type: none"> • निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण), अधिनियम, 1963 के अंतर्गत कच्चे मांस का निर्यात (चिल्ड/फ्रोजन) (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1992। • पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के अंतर्गत स्लॉटर हाउस नियम, 2001, 1960। • खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाइसेंस की शर्तें। • प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 और 1981 के अंतर्गत संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र। • राज्य प्रशासन से मंजूरी। <p>4.17 मनुफैक्चरर निर्यातक को साथ ही</p> <p>एपीडा द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करना होगा।</p>
--	--	---

		<p>4.18 संयंत्र की अधिशेष क्षमता का उपयोग करने के लिए, प्रसंस्करण इकाई, अपने स्वयं के निर्यात के अलावा, एक समझौते को निष्पादित करके मांस की आपूर्ति के लिए व्यापारी निर्यातकों के साथ गठजोड़ कर सकती है। समझौते में स्पष्ट रूप से भैंस के मांस की मात्रा और समझौते की मान्यता का उल्लेख हो। ऑनलाइन Meat.net प्रणाली के माध्यम से जारी किए गए स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पर ऐसे व्यापारी निर्यातक का नाम दर्शाया जाएगा।</p> <p>4.19 एक मनुफैक्चरर निर्यातकों से मर्चेट निर्यातकों द्वारा मांस की सोर्सिंग के लिए निम्नलिखित जांच का प्रस्ताव है:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. मर्चेट निर्यातक को मनुफैक्चरर निर्यातक के साथ एक समझौता करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से भैंस के मांस की मात्रा और समझौते की वैधता का स्पष्ट उल्लेख होगा। i. मर्चेट निर्यातक मनुफैक्चरर द्वारा निर्यातकों के साथ हस्ताक्षरित प्रत्येक समझौते के लिए एपीडा को 5.00 लाख रुपये की बैंक गारंटी भी प्रस्तुत की जाएगी। गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी शिकायत की प्राप्ति की स्थिति में और जांच के बाद उल्लंघन पाए जाने पर, एपीडा बैंक गारंटी को दंड के रूप में जब्त कर लेगा। झूठी सूचना के मामले में, एपीडा द्वारा IE कोड को रद्द करने और FTDRACK के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने के लिए डीजीएफटी को सिफारिश की जाएगी। <p>तथापि, जब तक निर्यातक/मांस संयंत्र को ऐसी शिकायत के विरुद्ध स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं दिया जाता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।</p> <p>प्रत्येक मनुफैक्चरर निर्यातक की Meat.net प्रणाली केवल उन मर्चेट निर्यातकों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेगी जिन्होंने समझौता किया है और एपीडा को 5 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।</p>
05	संयंत्र पंजीकरण प्रमाण-पत्र की	5.1 प्रमाणपत्र जारी करने को अस्वीकृत किया जा सकता है,

<p>अस्वीकृति/निलंबन/निरस्तीकरण</p>	<p>यदि इनकार उसे अस्वीकृत किया जाता है, तो वह रद्द या निलंबित भी हो सकता है। निम्नलिखित स्थितियों में संयंत्र का नाम एपीडा वेबसाइट और MEAT.NET के पंजीकरण संयंत्रों की सूची से हटा दिया जाएगा और उनका नाम निलंबित / रद्द किए गए संयंत्रों की सूची में शामिल कर दिया जाएगा:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यदि प्रसंस्करण इकाई समय-समय पर जारी किए गए निर्धारित मानकों और निर्देशों के अनुरूप नहीं है। 2. यदि मांस को भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति या किसी अन्य सांविधिक विनियमन के उल्लंघन से प्रसंस्कृत किया जाता है। 3. यदि वित्तीय संस्थानों/बैंकों/आयात करने वाले देशों से किसी भी मालिक/निदेशक/ट्रस्टी के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट आती है। 4. यदि आयातक देशों/आयातकों से इकाई के विरुद्ध गुणवत्ता/अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं: <ol style="list-style-type: none"> (i) उत्पाद की आपूर्ति न करना जिसके लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त हो गया है। (ii) निर्यातकों से की गई प्रतिबद्धता के अनुसार माल की आपूर्ति न करना। <p>हालांकि, निर्यातक/मांस संयंत्र को निम्नलिखित प्राप्त शिकायत के विरुद्ध स्पष्टीकरण देने का व्यर्थ अवसर देने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी:</p> <p>यदि संयंत्र आवश्यक गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता पाया जाता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यदि संयंत्र में उचित और कार्यात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला नहीं है। 2. यदि संयंत्र/प्रयोगशाला के प्रबंधन के लिए तकनीकी
------------------------------------	--

		<p>रूप से योग्य कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. अपशिष्टों, अस्थियों, मांस अपशिष्ट आदि के निपटान की असंतोषजनक व्यवस्था के मामले में। 4. संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एनओसी और/या सहमति रद्द करने के मामले में। 5. स्थानीय/सक्षम निकायों द्वारा मान्य लाइसेंस/अनुमति वापस लिए जाने की स्थिति में। 6. स्थानीय/सक्षम निकायों द्वारा मान्य लाइसेंस/अनुमति वापस लिए जाने की स्थिति में । 7. यदि संयंत्र पंजीकरण समिति को लगता है कि संयंत्र ऐसी जगह स्थित है जहां यह निवासियों के लिए हानिकारक होगा। 8. यदि लागू कानूनों की गैर-अनुपालन के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा संयंत्र को बंद/सील किया जाता है। 9. पट्टे पर दिए गए संयंत्रों के मामले में, यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है। 10. यदि संयंत्र का उपयोग मांस और मांस उत्पादों के प्रसंस्करण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। 11. यदि निरीक्षण के दौरान मांस संयंत्र पंजीकरण समिति या औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की राय है कि अनुबंध -1 (निर्यात उन्मुख रेड मीट प्रसंस्करण संयंत्रों में स्वच्छता और फाइटो-सैनिटरी आवश्यकताओं) के अनुसार संयंत्र द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य और स्वच्छता मानदंडों को पूरा नहीं किया जा रहा हो। 12. यदि संयंत्र मान्य समझौते में प्रवेश किए बिना
--	--	--

		<p>व्यापारी निर्यातक को भैंस के मांस और ऑफल की आपूर्ति करता पाया जाता है।</p> <p>13. औचक निरीक्षण की अनुमति देने में किसी भी प्रकार की रुकावट/इनकार को प्रमुख गैर-अनुरूपता के रूप में निर्मित किया जाएगा और मीट प्लांट पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द/निलंबित करने के लिए उत्तरदायी होगा।</p> <p>14. निर्धारित प्रारूप में एपीडा को नियमित रिटर्न जमान करने पर इसे रद्द/निलंबित भी किया जा सकता है।</p> <p>5.2 प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन से इनकार या इसके रद्दीकरण / निलंबन, जैसी भी स्थिति हो, निर्यातक को सूचित किया जाएगा। ऐसी स्थितियों में निर्यातक को अपने अधिकार में मूल प्रमाण-पत्र एपीडा को सौंपना होगा।</p> <p>आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में, निर्यातक अनुच्छेद 2.0 में उल्लिखित संयंत्र पंजीकरण शुल्क के साथ एपीडा को फिर से आवेदन कर सकता है।</p>
06	संयंत्र पंजीकरण प्रमाण पत्र की अस्वीकृति/निरस्तीकरण/निलंबन के संबंध में अपील	<p>6. अपील:</p> <p>6.1 रद्द/अस्वीकार करने की स्थिति में आवेदक एपीडा के अध्यक्ष के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।</p> <p>6.2 उक्त अपील ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अध्यक्ष, एपीडा को प्रस्तुत की जाएगी।</p> <p>6.3 प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण/निलंबन के मामले में अपील के साथ संयंत्र पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।</p> <p>6.4 अध्यक्ष, एपीडा आवश्यकता पड़ने पर योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार करेगा, वह आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई दे सकता है।</p> <p>6.5 अध्यक्ष, एपीडा इकाई के पुनः निरीक्षण सहित</p>

		<p>परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार ऐसे उपायों का आदेश दे सकता है, जिसके दौरान समिति द्वारा इंगित की गई विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए।</p> <p>6.6 इस संबंध में अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।</p> <p>6.7 मध्यवर्ती अवधि: उक्त अवधि के दौरान किए गए किसी भी निर्यात को आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना समझा जाएगा और इसे विदेश व्यापार नीति का उल्लंघन माना जाएगा।</p>
--	--	---

हस्ताक्षरित/-
डॉ. एम. अंगमुथु, आई.ए.एस
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.07.2021